

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक-ता०..... से
 जिला.....पल्लार.....सं० 28..... सन् 20 18-19.....
 केस का प्रकार सीमांकन.....

आदेश की क्र०स० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अमीन के कार्यालय कार्य में एकर होने के कारण निर्धारित तिथि को मापी का कार्य नहीं हो सका। अतएव अंचल अमीन को आदेश दिया जाता है कि आर्षदित भूमि का दिनांक 09.08.2019 को मापी कर मापी प्रतिवेदन इस मेंप के साथ समर्पित करें। सभी चौइद्वार को नोटिस निहित करें।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी सदर मेदिनीनगर।</p> <p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अमीन द्वारा अंचल निरीक्षक की उपस्थापित में प्रस्तावित भूमि का सीमांकन के पश्चात अंचल अमीन ने मापी प्रतिवेदन, इस मेंप एवं मापी के समग्र उपस्थापित प्रस्ताव का हस्ताक्षर युक्त प्रतिवेदन के साथ समर्पित किया है जो इस अभिलेख के साथ संलग्न है। मामला सीमांकन से संबंधित है एवं अंचल अमीन का मापी प्रतिवेदन प्राप्त है। अतएव अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी सदर मेदिनीनगर।</p>	